डॉ. प्रेम कुमार, माननीय मंत्री,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
का
जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिये

संदेश

हम सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति की व्यवस्थाओं से छेड़-छाड़ के दुष्परिणाम 21वीं सदी में गंभीर रूप लेने लगे हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा जल एवं भूमि संसाधनों के अवकृष्ट होने की समस्याएँ चिन्तनीय हो गयी हैं, जिनके निराकरण के लिये सभी स्तरों पर ठोस कार्रवाई को और अधिक टाला नहीं जा सकता है।

यह एक व्यावहारिक तथ्य है कि किसी भी व्यवस्था या तंत्र की विविधता उसके स्थायित्व और विचलनों से उबरने की विशेष क्षमता को और शक्ति प्रदान करती है।

प्राकृतिक व्यवस्थाओं में जैव विविधता का विशेष स्थान है। अनुभव तथा विज्ञान के आधार पर यह पाया गया है कि प्राकृतिक व्यवस्थाओं के संतुलन तथा स्वस्थ स्थित्ति के लिये **जैव विविधता** की भूमिका अद्वितीय है।

जैव विविधता के अवयव या पहलु

आप सभी जैव विविधता के विभिन्न अवयवों एवं व्यावहारिक पहलुओं से परिचित होंगे।

इनमें मुख्यतः वनस्पति, पेड़-पौधे, जड़ी-बूटी, घास के स्थानीय प्रजातियों की विविधता महत्वपूर्ण है। किसी भी भू-भाग में वहां के भौगोलिक परिवेश के अनुरूप प्राकृतिक अवस्था में जीव-जन्तुओं में वन्य जीवों की विविधता, पक्षियों की विविधता, जलीय जन्तुओं की विविधता, कीड़े-मकोड़े एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता का अपना महत्व है।

कृषि, बागवानी, पशु एवं अन्य उत्पादन व्यवस्था में जैविक विविधता

इसी प्रकार खेती तथा बागवानी के फसलों में भी विविधता बरकरार रखने की विशेष उपयोगिता है। जहाँ उत्पादकता में बढ़त के लिये संकर (हाइब्रिड) प्रजातियों की उपयोगिता विगत दशकों में पायी गयी थी, वहीं अब **जलवायु परिवर्तन, सुखाड़-बाढ़ तथा अन्य पर्यावरणीय समस्याओं की परिस्थितियों में "स्थानीय देशी" प्रजातियों तथा उनकी विविधता** की महत्ता बढ़ गयी है।

अब प्राकृतिक कृषि व्यवस्था अर्थात् आर्गेनिक फार्मिंग का भी एक अनुपात में

विस्तार करना जरूरी हो गया है। इसमें भी स्थानीय देशज प्रजाति के धान, गेहूँ, मक्का जौ, बाजरा, महुआ, तेलहन और दलहन के फसलों तथा सब्जी एवं फलों तथा कन्द-मूल की पहचान करना तथा उनके विशेषताओं को प्रकृति संवेदी समझ और सोंच के साथ आंकना जरूरी है।

ऐसी स्थानीय देशज किस्मों को संरक्षित करना तथा उनकी खेती अथवा बागवानी को बढ़ावा देना अनिवार्य हो गया है।

इसी प्रकार जलीय तथा नम भूमि में प्राकृतिक तथा कृत्रिम पैदावार प्रणालियों में भी मछली, मखाना, कमलगट्टा, सिंघाड़ा फल, कन्द-मूल इत्यादि विविध प्रकार के उत्पादों की विविधता की पहचान तथा उनके विशिष्ट गुणवत्ता वाले किस्मों का संरक्षण तथा उनके उत्पादन को विस्तार करना पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक संतुलन के लिये आवश्यक है।

इसी तौर पर पशुपालन प्रणालियों में भी गाय, भैंस, बकरी, पॉल्ट्री इत्यादि में स्थानीय देशी प्रजातियों की अपनी अनुवांशिक विशिष्टियाँ रही हैं। इनकी उपयोगिता भी वर्त्तमान जलवायु परिवर्तन तथा अन्य पर्यावरणीय प्रतिकूल परिवेशों में पहचानने की आवश्यकता है।

इतना ही नहीं, अब स्थानीय देशज (जिसे कुछ इलाकों में बोलचाल की भाषा में देसला भी कहते है) किस्मों के फसल, सब्जी, पशुपालन इत्यादि के उत्पादन के पारम्परिक तौर-तरीके / प्रणालियों की जानकारी का महत्व एवं उपयोगिता को नये वैज्ञानिक समझ-बूझ के साथ मिला कर विकसित और उपयोगी बनाने की आवश्यकता है।

हम सभी वाकिफ हैं कि विगत 20वीं सदी में औद्योगिक विकास, शहरीकरण तथा उच्च उत्पादकता की खेती की दौड़ में संतुलित प्रक्रिया अपनाने में चूक हुई। सघन सिंचाई, रसायनिक खादों तथा कीटनाशकों एवं संकर/हाइब्रिड किस्मों की बेतहाशा विस्तार में प्राकृतिक जैव विविधता तथा स्थानीय देशी किस्म के फसल, फल-फूल, जड़ी-बुटी, कन्द-मूल, विलुप्त होने लगे तथा इनका उपयोग तथा इनसे जुड़े पारम्परिक ज्ञान भी लुप्त हो रहे हैं।

प्राकृतिक वन क्षेत्रों में जैव विविधता

बिहार राज्य का लगभग 10 प्रतिशत भू भाग प्राकृतिक वन क्षेत्रों से सम्पन्न है। प्राकृतिक वन क्षेत्र 38 जिलों में से मात्र 10 जिलों में पाये जाते है।

इनमें भी वन विभाग के प्रशासन में अवस्थित वनों तथा उसके बाहर के जंगल तथा अवकृष्ट भू क्षेत्रों में वृक्ष, झाड़, तथा जड़ी-बुटी एवं कन्द-मूल की विविधता विगत सदी

में घटती गयी है।

ऐसे भूखण्डो की प्राकृतिक स्थिति में सुधार लाने में जैव विविधता का विशेष महत्व है। 21वीं सदी में इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु इन्हें अब काफी तेजी से तथा बड़े पैमाने पर और इकोलॉजिकल विज्ञान की समझ-बुझ के साथ करने की आवश्यकता है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका

प्रकृति संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन, पर्यावरणीय सुधार के कार्य विषय काफी व्यापक और विस्तृत हैं। यह स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के शासन एवं प्रबन्धन से जुड़े हैं।

जब तक स्थानीय निकायों ग्राम पंचायतों, प्रखण्ड पंचायतों, नगर पंचायत, नगर निगम चाहे प्राकृतिक तंत्र में जैव विविधता संरक्षण का मसला हो या कृषि, बागवानी, पशुपालन मतस्यिकी उत्पादन प्रणाली में जैव विविधता संरक्षण का मसला हो, बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्रवाई पंचायती राज की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की सहभागिता से ही यह सम्भव है।

अतएव सभी जैव विविधता प्रबन्धन समितियों से हमारी अपेक्षा है कि अपनी सक्षमता को समझते हुए अपने क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के हितों तथा इनसे जुड़े क्रिया-कलापों में अपनी भूमिका सक्रियता से निभायें।

इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य बिन्दु महत्वपूर्ण हैं :-

- प्राकृतिक बनाच्छादन का संरक्षण करना, वृक्षारोपणों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
- **जड़ी-बुटी के खेती/बागवानी को प्रोत्साहित करना,** कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना
- **जड़ी-बुटी तथा अन्य वनस्पतिक तथा जैविक उत्पाद** के प्राकृतिक स्थलों से निष्कासन और व्यापार को अपने संज्ञान में लेकर उन्हें **जैव विविधता अधिनियम 2002** के अन्तर्गत **बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद** के माध्यम से अपने विनिमयन में लाना। इस प्रकार के विनिमयन से स्थानीय जैव विविधता प्रबन्धन समिति को ऐसे व्यापार से लाभांश में हिस्सा मिल सकता है।
- पुराने बड़े वृक्षों (पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, चह, जंगल जलेबी, सिरिस, शीशम, जामुन, आम, इत्यादि) को **विरासत वृक्ष** के रूप में पहचान तथा घोषणा के लिये प्रस्ताव राज्य जैव विविधता पर्षद को देना।

- अपने इलाके में विशेष प्राकृतिक स्थलों / भुखण्डो (झील, बील, मन, ताल, नदी का कछार, दियारा, नदियों के संगम मुहाने) को प्रदूषण तथा अतिक्रमण से बचाना तथा ऐसे स्थलों की अपनी जैविक विविधता को संरक्षित करने में जिला राजस्व प्रशासन, वन प्रशासन, नगर क्षेत्र प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना। साथ ही इनमें से विशिष्ट स्थलों के जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अन्तर्गत **"जैव विविधता विरासत स्थल"** के रूप में घोषित कर वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद तथा जिला प्रशासन को समर्पित करना।
- अपने इलाके में स्थानीय देशज विशेष किस्म के किसी फसल, फल, पशुपालन प्रणाली एवं पशु संसाधन इत्यादि की जानकारी बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद तथा जिला कृषि/जिला बागवानी पदाधिकारी को देना। तथ्यात्मक आकलन के उपरान्त ऐसे प्रजातियों के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार की योजना ली जा सकेगी। ऐसे कृषकों को प्रोत्साहित किया जायगा।
- इस वर्ष उपर्युक्त क्रियाकलापों के व्यावहारिक तथा तकनीकी पहलुओं पर बिहार राज्य जैव विवधिता पर्षद द्वारा जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- जैव विवधिता प्रबन्धन समितियों को सक्रिय बनाने हेतु तथा अपने क्रिया-कलापों के सुचारु संचालन हेतु बेसिक सुविधायें पंचायतों की आधारभूत संसाधनों के अन्तर्गत मुहैया करायी जायेगी। इसके अलावे जो जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ सक्रिय हो जायेंगी, उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिये वित्तीय समर्थन का प्रावधन बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के माध्यम से कराया जायगा। इस प्रयोजनार्थ जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिये समेकित बैंक खाता प्रणाली की व्यवस्था की जायगी।

आइये, हम सब मिलकर बिहार में जैव विविधता संरक्षण तथा इनकी बुद्धिमत्ता से उपयोग को प्रोत्साहित कर राज्य की पारिस्थितिकीय संरक्षण तथा पर्यावरणीय सुधार के हितों के लिये अभियान चलायें।

जय हिन्द ! जय बिहार !

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना